



## म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

ब्लॉक-1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यालय-59, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल)

भोपाल, दिनांक 04/10/2012

क्र. 9355 /MGNREGS-MP/NR-1/2012


प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा  
जिला-.....समस्त

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विभिन्न उपयोजनाओं के तहत किये जाने वाले कार्यों को एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज करने बाबत निर्देश।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कराये जा रहे समस्त कार्य एवं विभिन्न उपयोजनाओं के कार्यों को एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जाती है। कार्यों को दर्ज करने हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्व में 09 श्रेणियाँ निर्धारित की गई थीं। भारत सरकार ने दिनांक 4 मई 2012 को मनरेगा में कई नये कार्यों को शामिल किया है, जिनकी प्रविष्टिया भी एम.आई.एस में किया जाना होगा। इस प्रकार कुल 16 श्रेणियाँ की गई हैं। भारत सरकार के नरेगा सॉफ्ट में उक्त कार्य भी प्रदर्शित होने लगे हैं। उपयोजनाओं के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की श्रेणी के संबंध में भ्रम की स्थिति होने के कारण जिलों द्वारा कार्यों को उनकी निर्धारित श्रेणी में प्रविष्टि नहीं की जाती है। कृपया उपयोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य के आधार पर तैयार संलग्न तालिका के अनुसार ही निर्धारित श्रेणी में प्रविष्टि कराये ताकि विभिन्न श्रेणियों में के कार्यों की सही संख्या ज्ञात हो सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

  
(डॉ. रवीन्द्र पुस्तोर)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,  
भोपाल, दिनांक 04/10/2012

9356

पृ.क्र. / /MGNREGS-MP/NR-1/2012

प्रतिलिपि:-


1. कमिश्नर समस्त संभाग म.प्र.।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, म.प्र.।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, म.प्र.।
4. संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान आधारतल जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
5. प्रचार्य.....क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का ओर सूचनार्थ।

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
भोपाल

**मनरेगा अंतर्गत संचालित उपयोजनाओं की निर्धारित श्रेणी में प्रविष्टि हेतु  
तालिका**

क्र	उपयोजना	उपयोजनांतर्गत लिए जाने वाले कार्य	श्रेणी जिसके तहत प्रविष्टि की जाना है	रिमाक
1	2	3	4	5
1	कपिलधारा उपयोजना	1. नवीन कुआं-भूजल पुर्नभरण की व्यवस्था के साथ (Dug well with ground water recharge structure) 2. खेत तालाब (Farm Pond/Dugout Pond) 3. मैसनरी चैक डेम/स्टाप डेम/आर. एम.एस. 4. लघु तालाब (Micro Tank)	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अ.जा./अ. ज.जा./लघु एवं सीमांत कृषक के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना.	
2	नंदन फलोद्यान उपयोजना	1. उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करना।	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अ.जा./अ. ज.जा./लघु एवं सीमांत कृषक के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना.	
3	भूमिशिल्प उपयोजना	1. मेढ़ बंधान 2. भूमि समतलीकरण	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अ.जा./अ. ज.जा./लघु एवं सीमांत कृषक के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना.	
4	शैलपर्ण उपयोजना	1. स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच/खतिया 2. गली प्लग/बोल्डर चैक 3. पहाड़ी/टीले पर वृक्ष पुनरोत्पादन, नवीन वृक्षारोपण/घास विकास कार्य 4. पहाड़ी/टीले की Barbed wire फेंसिंग व पशु अवरोधक खंती खोदना	जल संवर्धन एवं संरक्षण	
5	रेशम उपयोजना	1. शहतूत का वृक्षारोपण	सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधारोपण सहित)	
6	वन्या उपयोजना	1. अर्जुन व साज रोपण	सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधारोपण सहित)	
7	सहस्त्रधारा उपयोजना	1. जल संसाधन विभाग की समस्त सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल संरचनाओं के कमान क्षेत्र में कोलाबा से खेत तक नहर का निर्माण।	सिंचाई, नहर (माईक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित)	

  
 3-10-12


क्र	उपयोजना	उपयोजनांतर्गत लिए जाने वाले कार्य	श्रेणी जिसके तहत प्रविष्टि की जाना है	रिमार्क
1	2	3	4	5
8	निर्मल नीर उपयोजना	1.समुदायिक तालाब निर्माण। 2. पूर्वनिर्मित संरचनाओं के कैचमेंट एरिया में कंटूर ट्रेच, परलोकेशन तालाब, नाला बंधान, कुआं रिचार्ज कार्य। 3.पूर्व निर्मित कुओं एवं हेण्डपंप के आसपास सोकपिट का निर्माण। 4.सामुदायिक कुआं निर्माण	जल संवर्धन एवं संरक्षण  ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य	यदि उपयोजना में एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत कार्य एक साथ लिये गये हैं, तो प्रमुख उद्देश्य के आधार पर किसी एक श्रेणी में प्रविष्टि की जाएगी।
9	नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध जल संरचना उपयोजना	1.मिट्टी अथवा बौल्डर के नाला बंधान। 2.रॉक फिल डेम। 3.चैक डेम (रक्षण बाँध) 4.स्टाप डेम (आवरोधक बाँध) 5.निस्तार बाँध 6.गेबियन बाँध 7.बेराज 8.स्टाप डेम कम कॉजवे 9.पिकअप वियर	जल संवर्धन एवं संरक्षण	
10	लघु-तालाब एवं माइनर नहरों का रखरखाव उपयोजना	1.जल संसाधन विभाग की समस्त सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित माइनर नहरों का रखरखाव। 2.जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई तालाब एवं कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित तालाब का रखरखाव।	परम्परागत जल स्रोत संरचनाओं का पुनरुद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित)	
11	निर्मल वाटिका उपयोजना	1.05 बहुउपयोगी वृक्षों का रोपण। 2.जैविक खाद हेतु शौचालय के साथ एक जोड़ा लीचिंग पिट का निर्माण।	जल संवर्धन एवं संरक्षण	
12	मीनाक्षी उपयोजना	1.मत्स्य पालन हेतु लघु तालाब का निर्माण। 2.मत्स्य बीज उत्पादन हेतु छोटे तालाब का निर्माण।	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अ.जा./अ. ज.जा./लघु एवं सीमांत कृषक के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	
13	ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना	1.ग्रामों में खेल मैदान विकसित करना। 2.सी.पी.टी./ड्राय बोल्डर वाल। 3.मिट्टी की रैम्पनुमा गैलरी। 4.वृक्षारोपण	भूमि विकास  सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधारोपण सहित)	यदि उपयोजना में एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत कार्य एक साथ लिये गये हैं, तो प्रमुख उद्देश्य के आधार पर किसी एक श्रेणी में प्रविष्टि की जाएगी।

Qu.  
3.10.12

क्र	उपयोजना	उपयोजनांतर्गत लिए जाने वाले कार्य	श्रेणी जिसके तहत प्रविष्टि की जाना है	रिमार्क
1	2	3	4	5
14	बारहमासी सड़क उपयोजना (मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना)	1. ग्रेवल रोड का निर्माण।	बारहमासी ग्रामीण पहुँच मार्ग	
15	हरियाली चुनरी उपयोजना	वृक्षारोपण	सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधारोपण सहित)	
16	शांतिधाम उपयोजना	1. भूमि समतलीकरण	भूमि विकास	यदि उपयोजना में एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत कार्य एक साथ लिये गये हैं, तो प्रमुख उद्देश्य के आधार पर किसी एक श्रेणी में प्रविष्टि की जाएगी।
		2. सी.पी.टी. / ड्राई बोल्टर्स वॉल।		
		3. श्मशान भूमि / कब्रिस्तान के चारों ओर वृक्षारोपण कार्य।	सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधारोपण सहित)	
		4. वानस्पतिक आच्छादन।		
		5. पानी की व्यवस्था हेतु कुआँ अथवा स्टापडैम / चैकडैम का निर्माण	जल संवर्धन एवं संरक्षण	
		6. जी.एस.बी. स्तर तक पहुँच मार्ग निर्माण कार्य।	बारहमासी ग्रामीण पहुँच मार्ग	
17	कामधेनु उपयोजना	1. जी.एस.बी. स्तर तक पहुँच मार्ग।	बारहमासी ग्रामीण पहुँच मार्ग	यदि उपयोजना में एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत कार्य एक साथ लिये गये हैं, तो प्रमुख उद्देश्य के आधार पर किसी एक श्रेणी में प्रविष्टि की जाएगी।
		2. पशु अवरोधक खंती / बोल्टर दीवार निर्माण।	भूमि विकास	
		3. पेय जल व्यवस्था हेतु लघु तालाब।	जल संवर्धन एवं संरक्षण	
		4. गौशाला की भूमि पर वृक्षारोपण।	सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधारोपण सहित)	
		5. चारागाह विकास कार्य।		
		6. गोबर की खाद तैयार करने हेतु खंती निर्माण।		
18	नर्मदा परिक्रमा पथ उपयोजना	1. वृक्षारोपण कार्य	सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधारोपण सहित)	यदि उपयोजना में एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत कार्य एक साथ लिये गये हैं, तो प्रमुख उद्देश्य के आधार पर किसी एक श्रेणी में प्रविष्टि की जाएगी।
		2. ग्रेवल रोड व साइनेज निर्माण।	बारहमासी ग्रामीण पहुँच मार्ग	
		3. जल संरचनाओं की मरम्मत।	परम्परागत जल स्रोत संरचनाओं का पुनरुद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित)	

3.10.12

क्र	उपयोजना	उपयोजनांतर्गत लिए जाने वाले कार्य	श्रेणी जिसके तहत प्रविष्टि की जाना है	रिमार्क
1	2	3	4	5
19	वनवासी संवर्धन उपयोजना	1. कपिलधारा उपयोजनांतर्गत कूप/खेत तालाब/लघु तालाब निर्माण कार्य। 2. भूमि समतलीकरण। 3. मेढ बंधान। 4. नाडेप पिट निर्माण। 5. पौधा रोपण।	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अ.जा./अ.ज.जा./लघु एवं सीमांत कृषक के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना.	
20	आंतरिक पथ /पंच परमेश्वर	1. ग्राम के अंतर्गत सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण।	बारहमासी ग्रामीण पहुँच मार्ग	
21	मर्यादा उपयोजना	1.शौचालय निर्माण।	ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य	
22	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण।	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	

  
 3.10.12